

# कार्यालय: जिला शिक्षा अधीक्षक, सरायकेला-खरसावाँ।

## कार्यालय-आदेश

दिनांक 05.01.2019 उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, सरायकेला-खरसावाँ जिला शिक्षा स्थापना समिति की बैठक में दिये गये निदेशानुसार दिनांक 15.01.2019 को ग्रेड-4 में नव प्रोन्नत शिक्षक/शिक्षिकाओं का काउंसिलिंग के आधार पर पदस्थापन करने का निर्णय लिया गया है।

नव प्रोन्नत शिक्षक/शिक्षिकाओं को पदस्थापन हेतु दिव्यंग महिला/पुरुष शिक्षक, महिला शिक्षिका वरीयता क्रमांक में पुरुष शिक्षक के आधार पर काउंसिलिंग निम्न प्रकार निर्धारित किया गया है।

### काउंसिलिंग निम्न प्रकार की जायेगी।

क्र०सं०	शिक्षको की सं०	विषय	समय
1	60	विज्ञान कोटि	पूर्वाह्न 11:00बजे से 12:00बजे तक
2	82	कला कोटि	अपराह्न 12:00बजे से 02:00बजे तक
3	67	भाषा कोटि	अपराह्न 02:30बजे से 03:30बजे तक

निदेश दिया जाता है कि वेबसाईट में प्रकाशित सूची के सभी ग्रेड-4 में नव प्रोन्नत शिक्षक/शिक्षिका उक्त तिथि को निर्धारित समय पर ससमय उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।

*30/08/19*  
जिला शिक्षा पदाधिकारी  
-सह-

जिला शिक्षा अधीक्षक  
सरायकेला-खरसावाँ।  
*08/01/19*

ज्ञापांक.....*29*..... सरायकेला, दिनांक *08/01/19*

प्रतिलिपि:- सभी प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि अपने स्तर से भी ग्रेड-4 में नव प्रोन्नत शिक्षक/शिक्षिकाओं को काउंसिलिंग में भाग लेने हेतु सूचित करना सुनिश्चित करेंगे।

*30/08/19*  
जिला शिक्षा पदाधिकारी  
-सह-

जिला शिक्षा अधीक्षक  
सरायकेला-खरसावाँ।

*08/01/19*